संख्या- 137/2018/3204/71-2-18-जी-79/1998

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0,लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/467, दिनांक 24-10-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2017-18 में नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 47.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 47.50 (रूपया सैतालीस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तवित आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- धनराशि के आहरण हेतु बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर को प्राधिकृत किया जाता है।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औष्धालय-08-चिकित्सालयों और औषधालयों के प्रयोजनों हेतु अनुदान-0801-नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या- 137/2018/3204(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सीतापुर।
4. निदेशक/सचिव, नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च, सीतापुर।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in